दिनांक 20.04.2010 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में सचिव, कल्याण विभाग की अध्यक्षता में झारखण्ड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

1. श्री एल॰ खियांगते, सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष जे॰ टी॰ डी॰ एस॰।
2. श्री बी॰ सी॰ निगम, विशेष सचिव, कल्याण विभाग।
3. श्री कमल किशोर सोन, उपायुक्त, राँची।
4. श्री रबिन्द्र कुमार अग्रवाल, उपायुक्त, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम।
5. श्री राजेश कुमार शर्मा, उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ।
6. श्री सुनील कुमार, उपायुक्त, चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम।
7. श्री एन॰ पी॰ यादव, उपनिदेशक, आदिवासी कल्याण आयुक्त के प्रतिनिधि।
8. श्री साधु सिंह मुण्डा, सहायक निदेशक, जे॰ टी॰ आर॰ आई॰ सह मनोनीत सदस्य।
9. डॉ॰ प्रकाश चन्द्र उराँव, राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे॰ टी॰ डी॰ एस॰।

बैठक में उपस्थित सभी आगंतुक सदस्यों का स्वागत करते हुए सचिव, कल्याण विभाग सह अध्यक्ष, जे॰ टी॰ डी॰ एस॰ द्वारा बैठक की कार्रवाई प्रारंभ एवं संचालन करने का निदेश राज्य कार्यक्रम निदेशक को दिया गया।

उपस्थित सदस्यों के अभिवादन के उपरांत, निदेशक मंडल के बैठक की अध्यक्षता कर रहे सचिव, कल्याण विभाग के निदेशानुसार राज्य कार्यक्रम निदेशक, जे॰ टी॰ डी॰ एस॰ द्वारा कार्यावली में उल्लेखित बिन्दुओं पर चर्चा प्रारंभ की गई।

कार्यावली सं॰ - 1

दिनांक 07.07.09 को झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी, राँची के निदेशक मंडल की बैठक में निदेशित बिन्दुओं पर अनुपालन को निदेशक मंडल द्वारा सम्पुष्ट किया गया।

कार्यावली सं॰ - 2

निदेशक मंडल द्वारा कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए ये निदेश दिया गया कि भविष्य में निदेशक मंडल की बैठक में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रतिवेदन में यह भी सम्मिलित होना चाहिए कि पिछले वित्तीय वर्ष से संबंधित किन-किन शीर्ष/गतिविधियों में लक्ष्य के विरूद्ध कितनी उपलब्धि हासिल की गई। उपायुक्त, राँची के द्वारा कार्यक्रम का समय-समय पर डी0पी0सी0सी0 बैठक के माध्यम से किये गये समीक्षा पर संतोष व्यक्त किया गया। उपायुक्त, जमशेदपुर के

द्वारा डी॰पी॰सी॰सी॰ की बैठक निकट भविष्य में आयोजित करने निमित इच्छा व्यक्त की गई। उपायुक्त सरायकेला-खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम के द्वारा जिला इकाई चाईबासा के द्वारा उनसे सम्पर्क नहीं किए जाने तथा कार्यक्रम की जानकारी नही उपलब्ध कराने पर नाराजगी व्यक्त की गई। राज्य कार्यक्रम निदेशक ने बताया कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक चाईबासा का पद रिक्त है जिस कारण कार्य सम्पादन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है।

निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से श्री मनोज सिन्हा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक राँची को चाईबासा में जिला कार्यक्रम प्रबंधक की नियमित नियुक्ति होने तक जिला इकाई राँची के अतिरिक्त जिला इकाई चाईबासा को समय-समय पर आवश्यक मार्ग-दर्शन प्रदान करने तथा अनुश्रवण हेतु निर्णय लिया गया।

वर्ष 2009-10 तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लक्ष्य के विरूद्ध एवं उसका प्रतिशत अध्यक्ष के समक्ष उपस्थापित करेंगे।

कार्यावली सं॰ - 3

सचिव सह अध्यक्ष जे॰ टी॰ डी॰ एस॰ द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2010-11 को निदेशक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

कार्यावली सं॰ - 4

झारखण्ड ट्राईवल डवलपमेंट सोसाईटी के वित्त एवं प्रशासनिक नियामवली में प्रस्तावित संशोधन के बारे में निदेश दिया गया यदि राज्य कार्यक्रम निदेशक/जिला कार्यक्रम प्रबंधक के वित्तीय अधिकार में बढ़ोत्तरी के साथ संशोधन हेतु अलग से संचिका में प्रस्ताव सचिव, कल्याण-सह-अध्यक्ष जे०टी०डी०एस० को दे सकते है। यह भी सूझाव दिया गया कि चूँकि कार्यकम समाप्ति की अवधि कम बची है अतः वर्त्तमान में अपनाये जा रहे प्रकिया से भी काम चलाया जा सकता है।

कार्यावली सं॰ - 5

पी॰ एम॰ यू॰ में Communication Officer के पद को सृजित करने संबंधित निर्णय को निरस्त कर दिया गया।

कार्यावली सं॰ - 6

(क) सोसाईटी में रिक्त पड़े पदों के विरूद्ध नियुक्ति के संबंध में:- निदेशक मंडल द्वारा रिक्त पड़े पदों के विरूद्ध नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही यह निदेश दिया गया कि प्राप्त आवेदनों को ठीक ढ़ंग से Scrutiny/Short listing कर लिया जाय एवं संविदा कार्यक्रम अवधि के अनुसार ही की जाय।

(ख) झारखंड ट्राईबल डेवलपमेंट सोसाईटी में कार्यरत कर्मियों के सेवा विस्तार तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए निदेश दिया गया कि वैसे कर्मी जिनका कार्य प्रदर्शन असंतोषप्रद पाया गया है उन्हें वेतन वृद्धि नहीं दी जाय। राज्य कार्यक्रम निदेशक द्वारा बताया गया कि वैसे कर्मी जिनके विरूद्ध / Adverse Report था, वे सेवा से त्याग पत्र दे चुके हैं।

(ग) कर्मियों को देय यात्रा/ दैनिक भत्ता के संशोधन के प्रस्ताव पर निदेशक मंडल ने निर्णय लिया कि वर्त्तमान वित्त एवं प्रशासनिक नियमावली के तहत देय भत्ता को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार (अप्रेजल रिपोर्ट के अनुसार) द्वारा पिछले वर्ष से लागू संशोधित यात्रा/दैनिक भत्ता के अनुसार ही लागू किया जाय।

(घ) कर्मियों के जीवन बीमा/ ग्रेच्युटी के संबंध में

(i) जीवन बीमा के संबंध में तत्काल निर्णय स्थगित रखते हुए निर्णय लिया गया कि यदि कार्य के दौरान किसी कर्मी की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा लागू नियम ही मान्य होगा एवं घायल कर्मी के इलाज हेतु सचिव कल्याण सह अध्यक्ष जे० टी० डी० एस० से विशेष अनुमति प्राप्त कर उचित रकम का भुगतान किया जायेगा। इस पर निदेशक मंडल द्वारा सहमति प्रदान की गई।

(ii) स्वास्थ्य बीमा/मेडिक्लेम को झारखण्ड आदिवासी विकास समिति के वित्त एवं प्रशासनिक नियमावली के तहत् जारी रखने हेतु निदेश दिया गया।

(iii) ग्रेच्यूटी के संबंध में:- निदेशक मंडल द्वारा payment of gratuity Act 1972 के प्रावधानों के अनुसार जे.टी.डी.एस. कर्मियों को ग्रेच्यूटी लाभ देने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

(ङ) कर्मियों के अर्जित अवकाश का नगदीकरण (encashment) के संबंध में- प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया।

<u>कार्यावली सं0-7- (अन्यान्य-अध्यक्ष के अनुमति से)-</u>

पूर्णकालिक राज्य कार्यक्रम निदेशक के पद को प्रतिनियुक्ति से यथाशीघ्र भरने हेतु विषय पर निदेशक मंडल ने चर्चा की।

29/4/10

(बी.सी.निगम)
विशेष सचिव, कल्याण

ज्ञापांक-4/आईफाड-05/09- 1000 राँची, दिनांक 29/04/10

प्रति: सभी माननीय सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

29/4/10

विशेष सचिव, कल्याण

E:\Proceeding of BOD 20.04.10.doc